संख्या-95/2018/3425 ई-2/तेरह-2018-64/2017

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 31 अक्टूबर,2018

विषयः-आईएलई बार (ए यूनिट आफ मेसर्स देव्यानी इण्टरनेशनल लि0) प्रथम तल, डोमेस्टिक डिपारचर टर्मिनल-2, चौधरी चरण सिंह इण्टरनेशनल एयरपोर्ट, लखनऊ को एफ0एल0-7बी बार अनुज्ञापन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पृष्ठांकित अपने पत्र संख्या-2448/जि0आ0अधि0/बार अनु0/2018-19/लखनऊ, दिनांक 20 सितम्बर, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में जिला बार समिति की बैठक दिनांक 11-9-2018 में की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी0-119/दस-लाइसेंस-01/एफ0एल0-6,7/आईएलई बार /बार अनु0/लखनऊ, दिनांक 12 अक्टूबर,2018 में की गई संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त Ile बार (ए यूनिट आफ मेसर्स देव्यानी इण्टरनेशनल लि0) प्रथम तल, डोमेस्टिक डिपारचर टर्मिनल-2, चौधरी चरण सिंह इण्टरनेशनल एयरपोर्ट, लखनऊ को एफ0एल0-7बी बार अनुज्ञापन एतद्द्वारा इस शर्त के साथ स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि उक्त इकाई द्वारा रेस्टोरेन्ट में उपलब्ध मदिरा की किस्मों के प्रदर्शन हेतु डिस्प्ले काउण्टर पर मदिरा डिस्प्ले की व्यवस्था करने के साथ रेस्टोरेन्ट में सी0सी0टी0वी0 कैमरे की व्यवस्था होने, शान्ति व्यवस्था की दृष्टि से पर्याप्त मेटल डिटेक्टर से हैण्डहेल्ड सुरक्षाकर्मी होने तथा अग्निशमन विभाग की अनापत्ति में दी गई शर्तों को पूर्ण होने के पश्चात् ही लाइसेंस निर्गत किया जाए

तद्नुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-95 /2018/3425(1) ई-2/तेरह-2018 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी0-119/दस-लाइसेंस-01/एफ0एल0-6,7/आईएलई बार /बार अनु0/लखनऊ, दिनांक 12 अक्टूबर,2018 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(वेद प्रकाश राय)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।